LALITPUR POLICE

दिनांक- 08.09.2024

साइबर थाना ललितपुर पुलिस द्वारा स्वयं को पुलिस इन्सपेक्टर बताकर लोगो के साथ धोखाधड़ी कर रूपये ऐठने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

UPCOP APP के माध्यम से एफआईआर प्राप्त कर लोगो के नम्बर पर फोन कर अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही कराने के नाम पर ऐठता था रूपये

अभियुक्त के एकाउण्ट से 60,000 रूपये फ्रीज कराकर वादी को कराये गये वापस

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी, परिक्षेत्र झांसी के निर्देश के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ललितपुर श्री मो0 मुश्ताक के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक जनपद ललितपुर श्री अनिल कुमार एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्री अभय नारायण राय के निकट पर्यवेक्षण में साइबर थाना ललितपुर पुलिस द्वारा थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 22/2024 धारा 319(2) / 318(8) / 111(4) BNS व 66 सी / 66डी आईटी एक्ट में प्रकाश में आये अभियुक्त सुमित यादव पुत्र संजीत यादव नि0 नौरा , पोस्ट थोना , थाना टेहरका , जनपद निवाड़ी म0प्र0 को हवाई पट्टी के पास से गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण</u> — वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि मेरे द्वारा महिला थाना ललितपुर में मु0अ0सं0 10/2024 पंजीकृत कराये जाने के उपरान्त अज्ञात अभियुक्त द्वारा स्वय पुलिस एसपी आफिस से इस्पेक्टर बताकर वादी के मुकदमें कार्यवाही करने के नाम पर झांसे में लेते हुये ठगी करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था ।

प्रार्थना पत्र के आधार पर साइबर थाना ललितपुर में सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

<u>घटना का अनावरण-</u> घटना के शीघ्र अनावरण हेतु साइबर टीम द्वारा साइबर सर्विलांस, सीसीटीवी के माध्यमो से अपराधियों को चिन्हित कर उनकी रूट मैपिंग की गयी । इसके लिये झांसी, मऊरानीपुर , टीकमगढ , निवाडी म0प्र0 के विभिन्न स्थानों का सीसीटीवी फुटेज देखे गये । इसके अतिरिक्त अभियुक्तों द्वारा साइबर अपराध में प्रयोग किये गये बैंक खातों के स्टेटमेंट का अवलोकन कर मनीट्रेलिंग को फोलो किया गया । अलग -अलग स्थानो के विभिन्न एटीएम के सीसीटीवी फुटेज देखकर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम –

1. सुमित यादव पुत्र संजीत यादव नि0 नौरा , पोस्ट थोना , थाना टेहरका , जनपद निवाड़ी म0प्र0 ।

पूछताछ का विवरण – अभियुक्त सुमित उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि हमारा एक संगठित गिरोह है जो अलग – अलग स्थानों मे रहकर लोगों को फोनकर स्वंय एसपी आफिस से इस्पेक्टर तथा सीओ आफिस से बताकर उनके द्वारा थानों में लिखाये गये मुकदमें में कार्यवाही करने का आश्वासन देकर झांसे में लेकर धन प्राप्त कर लेते हैं । हमारे यहां इस काम की प्रोपर ट्रैनिंग दी जाती है कि कैसे साइबर फ्राड करना है और मैने इसका 15 दिनों का कोर्स किया था और उसमें हम लोगो को सिखाया जाता है कि कैसे हमे बात करनी है ताकि पब्लिक को शक न हो सके। मैं UPCOP एप के माध्यम से थानों मे पंजीकृत एफआईआर का विवरण प्राप्त करता हू। इसके बाद अभियुक्त के नम्बर पर फोन करके उन्हे बताते हैं कि मैं एसपी आफिस से इस्पेक्टर बोल रहा हूँ या सीओ आफिस से बोल रहा हूँ तथा फिर उनको बताता हूँ कि मैने विपक्षियो के विरूद्ध कोर्ट में वारण्ट जल्दी जारी करा दूगा जिसके लिये आपको रूपये देने होगे और उन लोगो से रूपये ले लेता हूँ। कभी कभार मैं वादी को फोन कर विपक्षीगणो को गिरफ्तार करने तथा उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने का आश्वासन देते हुये रूपये प्राप्त कर लेता हूँ। फिर इसके बाद लोगों से ठगे गये धन को दूरस्थ के एटीएम व सीएससी केन्द्रों के माध्यम से कैस करा लेते है , तथा ठगी में प्रयोग किया गया मो0न0 बन्द कर लेते है। साहब मुझसे गलती हो गयी मुझे माफ कर दीजिये।

बरामदगी का विवरण-

1. घटना में प्रयुक्त दो अदद मोबाइल फोन एक वीवो कम्पनी व एक आईटैल कम्पनी का

2. 730 रूपये बरामद

3.अभियुक्त के एकाउण्ट से 60,000 रूपये फ्रीज कराकर वादी को कराये गये वापस

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. नि0 शावेज खान , प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम थाना ललितपुर।
2. उ0नि0 राहुल सिंह , साइबर क्राइम थाना ललितपुर।
3. उ0नि0 गौतम पूनिया , साइबर क्राइम थाना ललितपुर।
4. हे0का0 नरेन्द्र सिंह , साइबर क्राइम थाना ललितपुर।
5. हे0का0 जायिद अली , साइबर क्राइम थाना ललितपुर।
6. हे0का0 मनमोहन सिंह , साइबर क्राइम थाना ललितपुर।
7. का0 पवन कुमार यादव , साइबर क्राइम थाना ललितपुर।